FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

तहसीलदार श्रीमाधोपुर बनाम पटवारी हल्का सिमारला जागीर

किस्म मुकदमा– प्रा0 पत्र प्रचलित रास्ता अ.धा 131, 132 एल.आर.एक्ट   मुकदमा नम्बर 13

20-12-24

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर	नकल व तामील अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुई
20.12.2024	तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा जरिये पत्र कमांक 2853 / भू.अ. / 2024 दिनाक 25.10.2024 के द्वारा तहसील श्रीमाधोपुर के राजस्व ग्राम कोलवा पटवार हल्का सिमारला जागीर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 438 / 1 रकबा 0.66 हैक्टर में से 0.0320 हैक्टर, 439 रकबा 1.28 हैक्टर में से 0.02 हैक्टर, 440 रकबा 0.14 हैक्टर में से 0.006 हैक्टर, 441 रकबा 1.01 हैक्टर में से 0.0140 हैक्टर मे से जा रहे नवोडी ढाणी से अमरसिंह वाली ढाणी के शमशान तक जाने वाले प्रचलित रास्ते का अंकन राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66 व 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 मय दस्तावेजात नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, गुगल मैप, प्रचलित रास्ते की फर्द मौका रिपोर्ट जिस पर सहमति बतौर संबंधित खातेदारान के हस्ताक्षर अंकित है। जिसे तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी अभिशंषा रिपोर्ट के साथ इस न्यायालय को प्रेषित किया हैं। विविध प्रार्थना पत्र प्रचलित रास्ता न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–6) जयपुर राजस्थान सरकार का परिपत्र कमांक प.3 (2) राज–6 / 2003 / पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 एवं तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये गये प्रस्तावें व संलग्न दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। रास्ते के मौके पर कदीमी रूप से चालू होने, प्रस्तावित रास्ते के मौके पर कच्चा होने तथा रास्ते के सार्वजनिक आवागमन में रास्ता चालू होकर उपयोग में आने से तहसीलदार श्रीमाधोपुर की अनुशंषा के मध्यनजर प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वे न्यायालय निर्णय अनुसार राजस्व रि... ...सल दरामद करे। प्रकरण में विस्तृत निर्णय पृथक से मय ... ... जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	4104/रीडर 3/1/25

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:43:04 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
पीठासीन अधिकारी– अनिल कुमार (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या–131 /2024 निर्णय दिनांक: 20.12.2024

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम– 1956

आदेश

तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा जरिये पत्र कमांक 2853/भू.अ./2024 दिनाक 25.10.2024 के द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66 व 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 मय दस्तावेजात नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, गुगल मैप, प्रचलित रास्ते की फर्द मौका रिपोर्ट जिस पर सहमति बतौर संबंधित कुछ खातेदारान के हस्ताक्षर अंकित है तथा अभिशंषा रिपोर्ट के साथ इस न्यायालय को प्रेषित किया हैं। श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–6) जयपुर राजस्थान सरकार का परिपत्र कमांक प.3 (2) राज–6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 एवं तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये गये प्रस्तावें व संलग्न दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। तहसील श्रीमाधोपुर के राजस्व ग्राम कोलवा पटवार हल्का सिमारला जागीर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 438/1 रकबा 0.66 हैक्टर में से 0.0320 हैक्टर, 439 रकबा 1.28 हैक्टर में से 0.02 हैक्टर, 440 रकबा 0.14 हैक्टर में से 0.006 हैक्टर, 441 रकवा 1.01 हैक्टर में से 0.0140 हैक्टर मे से जा रहे नवोड़ी ढ़ाणी से अमरसिंह वाली ढाणी के शमशान तक जाने वाले रास्ते के मौके पर कदीमी रूप से चालू होने, प्रस्तावित रास्ते के मौके पर कच्चा होकर तथा रास्ते के सार्वजनिक आवागमन के उपयोग में आना बताया गया है। साथ ही तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने उक्त [illegible] राजस्व रिकार्ड में अंकित करने हेतु अपनी स्पष्ट अभिशंषा रिपोर्ट भी पेश की है।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:43:04 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार यह विविध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 132 राजस्थान राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60 व 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 57 तहत स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाए गए प्रस्ताव में अंकित खसरा नम्बरान में से रास्ते के काम आ रहे रकबे को निम्नानुसार गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किए जाने की स्वीकृति दी जाती है।

क्र.स.	नाम पटवार मण्डल	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा	रकबा जो रास्ते में काम आ रहा है।
1	सिमारला जागीर	कोलवा	438/1	0.66	0.0320
2	सिमारला जागीर	कोलवा	439	1.28	0.0200
3	सिमारला जागीर	कोलवा	440	0.14	0.0060
4	सिमारला जागीर	कोलवा	441	1.01	0.0140

तहसीलदार श्रीमाधोपुर को उक्त मौके पर चालू रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शे में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तावित संलग्न नक्शा ट्रेस में अंकित/ दर्ज खातेदारी भूमियों में आने वाली भूमियों का लगान कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। गैर मुमकिन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदारान के खाते में ही दर्ज राजस्व रिकार्ड रहेगी। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस उक्त आदेश का भाग रहेंगे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर एक माह में पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) सत्यमेव जयते

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह आदेश आज दिनांक 20.12.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:43:04 IST
Reason: SelfAttested